

5/10/19

उपखण्ड अधिकारी

27.9.19

पञ्जावली गेडा दुई।
 प्राणी अथवा अप्रत्याशित आक्रमण
 प्राणी सुदूरमात्र ने प्राणितोषण प्रारम्भ
 किया। अतः आक्रान्त पञ्जावली गेडा
 पञ्जावली के एक कोठे को प्राणितोषण
 अनुप्राप्त (क.नं. 546/307) के तालेदार की
 सहायिणी 46 लाल बाली के तालेदार को
 दिया गया जो आसानी से खोलकर
 खोलने से इलाका कोशु की रिपोर्ट
 सहित प्राप्त हुआ है। जो पञ्जावली
 तालेदार की श्रेणी में शुमार हो। प्राणी
 ने जो पत्र हाथ आयात किया कि
 (क.नं. 303/1 व क.नं. 303) दोनों को
 पाले पाले हैं। जिनके पञ्जावली तालेदार
 (क.नं. 303/1 व 546/307) के तालेदार
 अपनी तालेदारी के जने नहीं देते हैं।
 जिससे प्राणी के व्यवधान होगा है।
 अ.क.वि. कोठे की रिपोर्ट अनुसार
 (क.नं. 303/1 व 303) हेतु रास्ता क.नं.
 546/307 से से प्रत्यावित्त किया है।
 जो सुविधानक, निरंतरता व उपयुक्त
 है। अतः रास्ता दिलवे।

27/9/19

पञ्जावली का अन्वेषण किया
 तथा उपस्थित प्राणी को प्राणितोषण पुना।
 पञ्जावली पर लाये गये तथ्यो अनुप्राप्त
 (क.नं. 303/1 व 303) की रिपोर्ट के
 तालेदार नहीं हैं। इसके तालेदार को
 पाले पाले हैं। अ.क.वि. कोठे की रिपोर्ट
 अनुसार प्राणी की तालेदारी अक्रान्त

[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुकम
 हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

2011, व 2012 हेतु रास्ता परीक्षा
 (नं. 546/207) से पुस्तकित किया
 गया है और कोई विकल्प नहीं बना
 जा रहा है। पुस्तकित रास्ता 07
 ग्राहक नम्बर 1 व 3 ग्राहक नम्बरों में है,
 जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 0.01 बीघा है।
 पुस्तकित रास्ता न्यूनतम की D.L.C. दर
 रु. 40,000/- प्रति बीघा की दर से है,
 जो क्रमशः 0.01 बीघा की प्रतिवत्
 राशि कुल रु. 4000/- आकार पर स्थापित
 है। न.L.R की रिपोर्ट में पुस्तकित
 रास्ता बाल स्याही से दर्शाया गया
 है। मिले मार्क A-B to CD दर्शाया
 है। काल: प्रार्थी की कालेकारी जोतक
 पहुँचाने हेतु नं. 546/207 में से
 न.L.R की रिपोर्ट अक्टूबर 11वीं
 नवम्बर में दर्शाए मार्क A-B to CD की
 न्यूनतम की रास्ता प्रयोजनार्थी उपयोग
 उपयोग की अनुकूल पुदान की जाकर
 अतः न्यूनतम की रास्ता प्रयोजनार्थी राजस्व
 डिमांड में अतः दरानु कर को
 पर रास्ता बाल स्याही से दर्शाया गया
 है। और न.L.R की रिपोर्ट में
 रास्ता प्रयोजनार्थी न्यूनतम की प्रतिवत्
 राशि कुल रु. 4000/- का आगत प्रार्थी
 द्वारा प्रार्थी की कालेकारी 30 नवम्बर
 को गोसावरी ठिकाने मण्डली दर्जियात
 से किया जावे। प्रार्थी ने प्रतिवत् राशि
 का चेक संख्या 001933 दिनांक 22/11/11
 रु. 4000/- का प्रस्तुत किया है।
 अतः आगत हेतु न.L.R की रिपोर्ट में
 न.L.R के साथ इस आदेश की प्रति
 अतः प्रयोजनार्थी निर्दिष्ट किया
 जावे कि अतः न.L.R को आगत
 हेतु प्रार्थी को सुपुत्र कर रखी,
 न.L.R - रास्ता के पुस्तकित के रूप में
 मान्य आदेश राजस्व डिमांड में अतः

राजस्व अधिकारी
 न.L.R

Date: 18/6/2015
 Page: 51/2015

Form No. III
फॉर्म अहकाम
 (विधम 26)

मुकाम
 जिला
 नम्बर

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुकम
 मुकदमा
 नम्बर
 नम्बर जो हुकम

दरानु कर को न.L.R रास्ता बाल स्याही से दर्शाया गया है। अतः प्रयोजनार्थी उपयोग की अनुकूल पुदान की जाकर अतः न्यूनतम की रास्ता प्रयोजनार्थी राजस्व डिमांड में अतः दरानु कर को पर रास्ता बाल स्याही से दर्शाया गया है। और न.L.R की रिपोर्ट में रास्ता प्रयोजनार्थी न्यूनतम की प्रतिवत् राशि कुल रु. 4000/- का आगत प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की कालेकारी 30 नवम्बर को गोसावरी ठिकाने मण्डली दर्जियात से किया जावे। प्रार्थी ने प्रतिवत् राशि का चेक संख्या 001933 दिनांक 22/11/11 रु. 4000/- का प्रस्तुत किया है। अतः आगत हेतु न.L.R की रिपोर्ट में न.L.R के साथ इस आदेश की प्रति अतः प्रयोजनार्थी निर्दिष्ट किया जावे कि अतः न.L.R को आगत हेतु प्रार्थी को सुपुत्र कर रखी, न.L.R - रास्ता के पुस्तकित के रूप में मान्य आदेश राजस्व डिमांड में अतः

राजस्व अधिकारी
 न.L.R